बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संचिका सं0–बि0ज0स्व0मि0 / ज.गु.–104 / 2016 1160 दिनांक:– 16/9/16

संकल्प

विषयः 'विकसित बिहार के लिए सात निश्चय' के अंतर्गत फ्लोराईड, आर्सेनिक एवं आयरन से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा समुदाय आधारित जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए "बिहार ग्राम स्वच्छ पेयजल निश्चय अभियान" के कार्यान्वयन की स्वीकृति।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के संकल्प; ज्ञापांक–5 / मं0स0(ज0शि0)विविध (सुशा) 11 / 2015–673 दिनांक 21.12.2015; में **'विकसित बिहार के लिए सात निश्चय'** के अंतर्गत **'हर घर नल का जल'** निश्चय निर्धारित है। इस निश्चय के अंतर्गत बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु सभी घरों में पाईप जल की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी। अगले पाँच वर्षों में चापाकल और पेयजल के अन्य साधनों पर लोगों की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। फ्लोराईड, आर्सेनिक एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विकसित बिहार के सात निश्चय के आलोक में राज्य के जल गुणवत्ता से प्रभावित सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल नल के द्वारा उनके घर तक उपलब्ध कराने तथा जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **'बिहार ग्राम स्वच्छ पेयजल निश्चय अभियान'** के कार्यान्वयन किया जायेगा, जिसे "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" एवं "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना" के प्रावधानों से पूरा किया जायेगा।

अभियान का उद्देश्य

- जल गुणवत्ता से प्रभावित सभी ग्रामीण बसावटों में शोधित जलापूर्ति;
- समुदाय आधारित जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन;
- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव एवं अनुरक्षण में समुदाय की भागीदारी।

क्रियान्वयन

1.1 जल गुणवत्ता की समस्या के निराकरण के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में 'जल जाँच प्रयोगशाला' स्थापित किये गये हैं। साथ ही, पटना में एक राज्य स्तरीय रेफरल लैब भी अधिष्ठापित है, जो NABL द्वारा अभिप्रमाणित देश की कुछेक सरकारी प्रयोगशाला में से एक है। इसके अतिरिक्त विभाग के चार प्रक्षेत्रों के स्तर पर चलंत जल जाँच प्रयोगशालाएं भी कार्यरत हैं, जो सुदूर गाँवों तक भ्रमण कर जल गुणवत्ता की जाँच सुनिश्चित करती है।

1.2 केन्द्र प्रायोजित 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम' और राज्य योजना संपोषित 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना के अंतर्गत जल गुणवत्ता से प्रभावित ग्रामीण बसावटों में जलापूर्ति योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

रणनीति

राज्य के ग्रामीण बसावटों में नल के द्वारा हर घर में स्वच्छ पेयजलापूर्ति करने तथा जल गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं निगरानी में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के उददेश्य से निम्नलिखित रणनीति अपनाई जायेगी :–

क. जल जाँच प्रयोगशाला का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरणः

- विभाग के लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल के स्तर पर जल जाँच प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी;
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सार्वजनिक जल स्त्रोतों की वार्षिक रूप से दो बार (मानसून पूर्व एवं मानसून बाद) जिला जल जाँच प्रयोगशालाओं के द्वारा जल गुणवत्ता जाँच कराई जायेगी और इसके परिणाम सार्वजनिक किये जायेंगे, ताकि आम लोगों के लिए जलापूर्ति व्यवस्था की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके;
- सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों की गुणवत्ता जाँच हेतु चलंत जल जाँच प्रयोगशालाएं विभाग के सभी कार्य अंचलों में उपलब्ध कराई जायेंगी;
- ग्रामीण क्षेत्रों के निजी जल स्त्रोतों की जाँच के लिए शुल्क आधारित व्यवस्था विकसित की जायेगी;
- फ्लोराईड प्रभावित ग्रामीण बसावटों में समुदाय संचालित जल गुणवत्ता जाँच केन्द्र स्थापित की जायेगी;
- जल गुणवत्ता जाँच की रिर्पोट को आम जन के लिए उपलब्ध कराने हेतु अन्य संचार माध्यमों के अलावा वेब आधारित एम.आई.एस. का विकास किया जायेगा;
- लोक स्वास्थ्य प्रक्षेत्र मुख्यालयों में अवस्थित जिला जल जाँच प्रयोगशाला को National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) से प्रत्यायन (Accreditation) प्राप्त कराया जायेगा;
- जल गुणवत्ता जाँच से जुड़े कर्मियों–केमिस्ट, प्रयोगशाला सहायक, आदि के क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, आदि का नियमित आयोजन किया जायेगा।

ख. समुदाय आधारित जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानीः

- जल गुणवत्ता से प्रभावित ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक लाभुक समिति का गठन किया जायेगा;
- यह समिति समुदाय स्तर पर गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में शोधित पेयजल का उपयोग करने के लिए समुदाय को प्रेरित व जागरूक करेगी और गाँव में जल गुणवत्ता के अनुश्रवण/निगरानी एवं जल सुरक्षा योजना (Water Security Plan) की गतिविधियों का नियोजन और कार्यान्वयन करेगी;

- जल गुणवत्ता से प्रभावित ग्राम पंचायतों में वार्ड स्तर पर समिति द्वारा त्रैमासिक 'जल चौपाल' आयोजित किये जायेंगे, जिसमें वार्ड सदस्य, समिति के अन्य सदस्य और समुदाय मिलकर फ्लोराईड/आर्सेनिक/आयरन की जल गुणवत्ता प्रभाव से निराकरण, जल गुणवत्ता से प्रभावित पेयजल स्त्रोत की पहचान एवं उनका चिन्हिकरण तथा शोधित जलापूर्ति योजना के नियोजन, कार्यान्वयन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण तथा जल सुरक्षा योजना का निरूपण/कार्यान्वयन पर चर्चा की जायेगी;
- इसी प्रकार से 'जल चौपाल' ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष में दो बार, जिला एवं राज्य स्तर पर वर्ष में एक बार आयोजित किये जायेंगे और जल गुणवत्ता न्यूनीकरण एवं जल सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं नियोजन किये जायेंगे;
- समुदाय आधारित जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी गतिविधियों के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान करने वाले वार्ड सदस्यों, मुखिया एवं नागरिकों को वार्षिक रूप से चिन्हित कर सम्मानित किया जायेगा।

ग. **सामुदायिक जागरूकता एवं क्षमता संवर्द्धनः**

- फ्लोराईड/आर्सेनिक/आयरन की जल गुणवत्ता के न्यूनीकरण (Water Quality Mitigation) के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग (ICDS) के साथ प्रभावित बसावटों में विशेष स्वास्थ्य जाँच शिविर और ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जायेगा;
- शिक्षा विभाग के सहयोग से जल गुणवत्ता से प्रभावित ग्राम पंचायतों के शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे;
- जल सुरक्षा योजना और जल गुणवत्ता के न्यूनीकरण के लिए आँगनबाड़ी सेविका, आशा, विकास मित्र, वार्ड सदस्य, मुखिया, एएनएम, जीविका दीदी सहित विभिन्न Stakeholders को प्रशिक्षत किया जायेगा;
- वापाकल मिस्त्री, प्लम्बर एवं पम्प ऑपरेटर के प्रशिक्षण हेतु ग्रामीण युवकों–युवतियों को प्रशिक्षित कर उन्हें सूचीबद्ध किया जायेगा और उन्हें सेवा प्रदायक/सामाजिक उद्यमी (Service Provider/Social Entrepreneur) के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा;
- ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के प्रबंधन, रखरखाव एवं अनुरक्षण में समुदाय को जोड़ने के उद्देश्य से वार्ड सदस्यों एवं समुदाय को प्रशिक्षित किया जायेगा।

तकनीकी परामर्श, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

क. अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा जल गुणवत्ता शोधक तकनीकी पर परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय स्तर से विशेषज्ञ संगठन (IIT, CGWB, NWC, NEERI, आदि) के प्रतिनिधियों को शामिल कर 'जल गुणवत्ता टास्क फोर्स' का गठन किया जायेगा;